



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24052022-235994
CG-DL-E-24052022-235994

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367]
No. 367]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 24, 2022/ज्येष्ठ 3, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 24, 2022/JYAISHTHA 3, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2022

सं. 16/2022-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 388(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "सेरामिक टेबलवेयर्स और किचनवेयर्स, चाकू और शौचालयों की मदों को छोड़कर" (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 6911 और 6912 के अंतर्गत आते हैं के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 14/05/2016-डीजीएडी, दिनांक 8 दिसम्बर, 2017, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 दिनांक 8 दिसम्बर, 2017 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में उक्त विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी।

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 21 फरवरी, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) सा.का.नि. 179 (अ), के तहत दिनांक 21 फरवरी, 2018 में प्रकाशित किया गया था, के तहत उक्त विषयगत वस्तु पर निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क लगाया था।

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 07/33/2020-डीजीटीआर, दिनांक 3 अगस्त, 2021, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 दिनांक 3 अगस्त, 2021 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 21 फरवरी, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) सा.का.नि. 179 (अ), के तहत दिनांक 21 फरवरी, 2018 में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन वर्तमान प्रतिपाटन शुल्क को मलेशिया में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु पर भी लगाए जाने की सिफारिश की थी।

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 59/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 4 अक्टूबर, 2021, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) के तहत सा.का.नि. 715 (अ), दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 में प्रकाशित किया गया था, के तहत प्रतिपाटन शुल्क लगाया था और यह प्रतिपाटन शुल्क 4 अक्टूबर, 2021 से लागू होना था और यह विषयगत वस्तु पर उपर्युक्त अधिसूचना संख्या 4/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 21 फरवरी, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) सा.का.नि. 179 (अ), के तहत दिनांक 21 फरवरी, 2018 में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के सहअवसानिक था।

और जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "सेरामिक टेबलवेयर्स और किचनवेयर्स, चाकू और शौचालयों की मदों को छोड़कर" जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 6911 और 6912 के अंतर्गत आते हैं के आयात पर अधिसूचना संख्या 4/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 21 फरवरी, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) सा.का.नि. 179 (अ), दिनांक 21 फरवरी, 2018 के तहत में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के मामले में उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/20/2021--डीजीटीआर, दिनांक 31 अगस्त, 2021, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 दिनांक 31 अगस्त, 2021 में प्रकाशित किया गया था, के तहत, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुपालन में समीक्षा का कार्य शुरू किया था।

और जहां कि विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 7/20/2021--डीजीटीआर, दिनांक 10 मार्च, 2022, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 दिनांक 10 मार्च, 2022 में प्रकाशित किया गया था, के तहत प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में अन्य बातों के अलावा इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि -

- i. ऐसे शुल्क को लगाए जाने के बावजूद विषयगत देश से यहां विषयगत वस्तु की भरमार होती जा रही है ; 'सर्कमवेटेड' आयात पर विचार करने के पश्चात ऐसी भरमार और 'इंजुरी मार्जिन' सकारात्मक और खास पाई गई है ;
- ii. इस तरह के आयात से घरेलू उद्योग की कीमतों और ऐसे मूल्य संबंधी प्रभाव को नियंत्रित पाया गया है और यदि ऐसा शुल्क न लगाया गया होता तो ये कीमतें और अधिक होतीं ; ऐसे आयात का मूल्य संबंधी प्रभाव काफी महत्व रखता है क्योंकि लागू शुल्क का 'सर्कमवेंशन' हो जाता है ;
- iii. इस स्तर पर यदि ऐसे शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो इस प्रकार की भरमार के और घरेलू उद्योग के होने वाली क्षति के जारी रहने/पुनः होने की संभावना है,

और उन्होंने चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित और वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर और उन विषयगत वस्तु के आयात पर जिनको कि मलेशिया में उत्पादित हुआ घोषित किया गया हो और भारत में आयातित किया गया हो पर लगे प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 21 फरवरी, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) सा.का.नि. 179 (अ), दिनांक 21 फरवरी, 2018 के तहत में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़कर, केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात्, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है और कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित हैं और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित हैं पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि की बराबर की दर से कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है।

सारणी

क्र.सं.	उप शीर्षक	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	माप इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	6911 और 6912	*सेरामिक टेबलवेयर्स और किचनवेयर्स	**चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	कोई भी	1075	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2.	6911 और 6912	*सेरामिक टेबलवेयर्स और किचनवेयर्स	**चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	1075	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

*विषयगत वस्तु का विवरण है – “सेरामिक टेबलवेयर्स और किचनवेयर्स, चाकू और शौचालयों की मदों को छोड़कर”। बोन चाईना, स्टोन वेयर और पोर्सिलिन वेयर, ये सभी सिरामिक उत्पाद माने जाते हैं।

**यदि ऐसी वस्तु को ‘मलेशिया में मूलतः उत्पादित’ घोषित किया गया हो तो इस पर उपर्युक्त दर से प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाएगा।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. -190354/104/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th May, 2022

No. 16/2022-Customs (ADD)

G.S.R. 388(E).—Whereas, in the matter of “Ceramic Tableware and Kitchenware, excluding knives and toilet items”(hereinafter referred to as the ‘subject goods’), falling under headings 6911 and 6912 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act),originating in, or exported from the People’s Republic of China (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification No. 14/05/2016-DGAD, dated the 8th December, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 8th December, 2017 had recommended imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject country;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed definitive anti-dumping duty on the subject goods *vide* notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 4/2018-Customs(ADD), dated the 21st February, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 179(E), dated the 21st February, 2018.

And whereas, the designated authority in its final findings, published *vide* notification No.07/33/2020-DGTR, dated the 3rd August, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 3rd August, 2021 had recommended imposition of the existing anti-dumping duty imposed on the imports of subject goods, originating in or exported from the People’s Republic of China, *vide* notification of the Government of India , Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 4/2018-Customs (ADD), dated the 21st February, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 179(E) dated the 21st February, 2018, on the subject goods, originating in or exported from the Malaysia;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed anti-dumping duty on imports of subject goods, originating in or exported from the Malaysia, *vide* notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No.59/2021-Customs (ADD), dated the 4th October, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 715(E) dated the 4th October, 2021 and this anti-dumping duty was to be effective from the 4th October, 2021 and would be co-terminus with the anti-dumping duty on subject goods as levied *vide* aforesaid notification No. 4/2018-Customs (ADD), dated the 21st February, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 179(E), dated the 21st February, 2018;

Whereas, the designated authority, *vide* notification No. 7/20/2021-DGTR, dated the 31st August, 2021 published in Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 31st August, 2021 had initiated the review in terms of sub-section (5) of section 9 A of the Customs Tariff Act, and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of ‘Ceramic Tableware and Kitchenware, excluding Kitchen Knives and Toilet items’, falling under headings 6911 and 6912 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in, or exported from, the People's Republic of China (hereinafter referred to as subject country) and imported into India, imposed *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 4/2018-Customs(ADD), dated the 21st February 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 179(E), dated the 21st February, 2018;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject country, the designated authority in its final findings, published *vide* notification No. 7/20/2021-DGTR, dated the 10th March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 10th March, 2022, has inter-alia come to the conclusion that –

- i. there is continued dumping of the subject goods from the subject country despite duties being in force. The dumping and injury margins are positive and significant after considering circumvented imports;
- ii. the imports have been undercutting the price of the domestic industry and the price effects would have been much higher in the absence of existing duties. Price effect of imports is prominent as there has been circumvention of duties in force;
- iii. that there is likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of duties at this stage,

and has recommended continued imposition of an anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the People's Republic of China and subject goods declared as 'originating in Malaysia' and imported into India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 4/2018-Customs(ADD), dated the 21st February, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) , *vide* number G.S.R. 179(E), dated the 21st February, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after considering the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under headings of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), and exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), and produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at a rate which is equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7) in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table.

TABLE

Sr. No.	Sub-Heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	6911 and 6912	Ceramic Tablewares and Kitchenwares*	People's Republic of China **	Any country including People's Republic of China	Any	1075	MT	US Dollar
2.	6911 and 6912	Ceramic Tablewares and Kitchenwares*	Any country other than People's Republic of China **	People's Republic of China	Any	1075	MT	US Dollar

*Description of the subject goods is "Ceramic Tablewares and Kitchenwares, excluding knives and toilet items". Bone China, stoneware and porcelain-ware all constitute ceramic products.

** In case the goods are declared as 'originating in Malaysia', the anti-dumping duty as per rates mentioned above shall apply.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, suspended and amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation. - For the purposes of this notification, the rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act, 1962.

[F. No. 190354/104/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.